मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 01.03.2013 को विद्युत बकाए के भुगतान के सम्बन्ध में हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः (सूची संलग्न)

1. मुख्य सचिव द्वारा सम्बंधित सभी संबंधित विभागों को यह निदेश दिया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत प्रभार मद में किए गए बजट प्रावधान के विरूद्ध 2 (दो) दिनों के अन्दर आवंटन पत्र निर्गत किया जाय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया जाय कि वे 7 दिनों के अन्दर आवंटित राशि का भुगतान डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालयों को कर दें। 31 मार्च, 2013 तक जिन कार्यालयों का विद्युत विपत्र का भुगतान लम्बित रहेगा, उनका विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने हेतु कंपनियॉ स्वतंत्र होंगी।

2. लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता अभी हड़ताल पर हैं ऐसी स्थिति में चालू परियोजना से सम्बंधित विद्युत विपत्र का केन्द्रीकृत रूप से (Centrally) भुगतान करने हेतु सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया। जिस विपत्र में dispute हो उसका निदान DISCOM एवं संबंधित विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किया जाये, ताकि भुगतान शीघ्र हो सके।

3. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा करीब 300 (तीन) सौ करोड़ रूपये विभिन्न निकायों को आवंटित किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत विद्युत बकाए के भुगतान से संबंधित है। उनके द्वारा निकायवार आवंटन की सूची बिजली कम्पनी को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा साथ ही वे संबंधित निकायों को 7 दिनों के अन्दर विद्युत विपत्र का भुगतान करने हेतु निदेश शीघ्र निर्गत करेंगे।

4. सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा यह बताया गया कि कुछ पुलिस कार्यालयों/थानों/पुलिस लाईन में मीटर लगाने में प्रतिरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय से उनके क्षेत्रीय कार्यालय को निदेश निर्गत करना अनिवार्य है। साथ ही विपत्र के भुगतान के लिए भी सम्बन्धित पदाधिकारी को निदेशित किया जाय। पु० म० नि०, पुलिस मुख्यालय द्वारा यह कहा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय को इस सम्बन्ध में शीघ्र निदेश निर्गत कर दिया जाएगा।

7/3/2013

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

प्र०2/वि०वि०अनु०-29/01(खंड)
ज्ञापांक— 1391 पटना, दिनांक— 8/3/13

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष विश्वास बोर्ड/सचिव, ऊर्जा विभाग/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/ प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार डिस्ट्रब्यूशन कम्पनी लि०/ I.T. Manager, ऊर्जा विभाग/ बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 8/3/13

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग

10